"व्रण बंधन"

* आचार्य सुश्रुत द्वारा, व्रण की सम्पूर्ण चिकित्सा के लिये वर्णित 'षष्टी उपक्रमों' में व्रण बंधन - 48 वा उपक्रम है।

* **प्रयोजन** ⇒ व्रणों को ढंकने के जो उपक्रम किया जाता है। उसे व्रण बंधन कहते हैं। व्रण का बंधन करने अर्थात बाँधने से व्रण का शोधन होता है। अर्थात् व्रण शुद्ध एवं कोमल बनता है तथा उपद्रव रहित रहकर रोपित होता है।

* **व्रण बंधन द्रव्य** ⇒ (1) क्षौम (2) कार्पास (रुई)
(3) आविक (4) दुकूल (पट्ट वस्त्र) (5) कौशेय (रेशम)
(6) चर्म (मृग चर्म) (7) लता (8) तूलफल (सिम्बलफ
(9) अन्तर्वल्कल (गूलर वृक्ष के अन्दर की पतली छाल
(10) रज्जु (11) लोह (स्वर्णादि धातुयें) (12) विदल (बाँस

* **वर्तमान में बन्धनकर्म के लिये प्रयुक्त द्रव्य** ⇒
(1) Linen
(2) Flannel
(3) cotton (रुई)
(4) Muslin (मलमल)

Scanned with CamScanner

④ व्रणबंधन में प्रयोज्य उपकरण ⇒

(1) कवलिका ⇒ "द्विगुण-चतुर्गुण मृदु पट्ट विरचिता कवलिका।" (डल्हण)
(Cotton Pad)

"बहुवस्त्रखण्डपुट निवर्तिता कवलिका।" (अरुणदत्त)

व्रण को आघातादि से बचाने के लिये, व्रण के ऊपर दो या चार तह करके जो कोमल वस्त्र रखा जाता है उसे कवलिका कहते हैं।

आचार्य सुश्रुत ने व्रण पर घनी कवलिका रखकर बन्धन करने के लिये कहा है। आजकल इसके स्थान पर रुई (Cotton Pad) का प्रयोग करते हैं।

(2) विकेशिका ⇒ "कल्क मधु घृताभ्युक्त वस्त्रस्य सूत्रस्य वा वर्ति विकेशिका" (अरुणदत्त)
(Medicated Gauze Piece)

कल्क, घृतादि औषध को जिस वस्त्र या सूत्रादि पर लगाकर व्रण पर रखा जाता है, उसे विकेशिका कहते हैं।

विकेशिका को पूतिमांस युक्त व्रण, कोटरयुक्त व्रण तथा अन्तः पूयवत व्रण में शीघ्र ही शोधन होता है।

(3) पिचु ⇒ "पिचु स्थूल कवलिका।" (चक्रपाणि)
(Swab) यह विकेशिका के सदृश्य ही होती है परन्तु स्थूल वस्त्र की बनी होती है। इसे औषध युक्त तैल या घृत में भिगोकर योनि में भी प्रयुक्त किया जाता है।

(4) प्लोत ⇒ घानी या कषाय से भीगा हुआ वस्त्र (Swab) या रुई
(Swab or Pack) जिसे व्रण प्रक्षालन में प्रयोग किया जाता है।

Scanned with CamScanner

बंधन विषय (Indication) ⇒ (1) औषधि को व्रण पर सतत लगाये रखने के लिये।

(2) अस्थिभग्न (Fracture) तथा संधिमोक्ष (Dislocation) में स्थिरता लाने के लिये

(3) व्रण की आघात से रक्षा एवं रक्तस्त्राव रोकने के लिये।

(4) ओष्ठ तथा नासादि के संधान के पश्चात।

(5) श्वयथु निवारणार्थ (To reduce Oedema)

(6) धूल, धूप, वायु, शीत एवं मक्खियों से व्रण की रक्षा हेतु।

(7) त्वक्, माँस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं संधि आश्रित व्रणों में बन्धन कर्म के लिये।

(8) सर्पदंश विष को फैलने से रोकने के लिये।

बंधन कर्म निषेध (Contraindication) ⇒ शल्ययुक्त व्रणों में, दुष्टव्रणों में, पूय युक्त व्रणों में जैसे- कुष्ठज व्रण, अग्निदग्ध व्रण, मधुमेही के व्रण, प्रमेह पिड़िका, मूषक विष जन्य व्रण, दूषित मांसांकुर युक्त व्रण, विषज व्रण, मॉसपाक तथा गुदपाक एवं व्रणपाक की अवस्थाओं में बंधनकर्म नहीं करना चाहिये।

"कुष्ठिनामाग्निदग्धानां पिड़िका मधुमेहिनाम। कर्णिकाश्चोन्दरुविषे विषजुष्टाव्रणाश्च ये॥ मांसपाके च बध्यन्ते गुदपाके च दारुणे।

(सु०सू० 18/34)